प्रेस विज्ञप्ति जनपद रामपुर दिनांक 07—09—2020

श्रीमान पुलिस अधीक्षक, रामपुर महोदय श्री शगुन गौतम द्वारा जनपद में अपराध व अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान में की गई कार्यवाही—

श्रीमान पुलिस अधीक्षक, रामपुर के निकट पर्यवेक्षण में एंटी रोमियॉ टीम द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं को हेल्पलाईन नम्बरों एवं कानून सम्बंधियॉ दी जा रही है जानकारियॉ— श्रीमान पुलिस अधीक्षक, रामपुर श्री शगुन गौतम के निकट पर्यवेक्षण में अपर पुलिस अधीक्षक, रामपुर/नोडल अधिकारी श्री अरूण कुमार सिंह के नेतृत्व में आज दिनांक 07.09.2020 को तहसील सदर में 11 से 14 वर्ष की स्कूल न जाने वाली किशोरी बालिकाओं को औपचारिक शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने, बहुआयामी आवश्यकताओं को समझने, जीवन कौशल की शिक्षा तथा पोषण एवं स्वास्थ्य पर प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन देने के उद्देश्य से चयनित सखी एवं सहेलियों को सुरक्षा, आत्मरक्षा तथा अधिकारों के विषय में सुश्री कंचन टोलिया, प्रभारी एंटी रोमियों मय टीम द्वारा किशोरी बालिकाओं को सुरक्षा तथा अधिकारों एवं वूमेन पावर लाइन—1090, डायल—112, हेल्प डेस्क घरेलू हिंसा हेल्पलाइन नंबर—181, बाल संरक्षण अधिनियम एवं कानून की अन्य धाराओं के बारे में जागरूक किया गया। इसके अतिरिक्त एंटीरोमियों टीम द्वारा जनपद में नगर क्षेत्र में स्थित बाबू मॉल, किला पश्चिमी गेट, रोडवेज बस स्टैण्ड आदि स्थानों पर जाकर महिलाओं एवं बालिकाओं को जागरूक किया जा रहा है।

थाना सिविल लाइन :—दहेज हत्या में वॉछित चल रहे सास व ससुर गिरफ्तार—वादी श्री अजय कुमार सिंह पुत्र बिजेन्द्र सिंह नि0 न्यू कृष्णा विहार कालौनी ज्वालानगर, थाना सिविल लाइन, रामपुर की मौसेरी बहन पारूल उम्र 23 वर्ष से उसके पति गौरव व अन्य ससुराल वालों द्वारा दहेज में पॉच लाख रू0 व एक कार की मांग की जा रही थी। दहेज की मॉग पूरी न होने पर उसके पति व ससुराल वालों द्वारा पारूल की दिनांक 08—08—2020 को हत्या कर दी थी। इस सम्बंध में थाना सिविल लाइन, रामपुर पर मु0अ0सं0—238/20 धारा 498ए,304बी भादवि व 3/4 डीपी एक्ट का अभियोग पंजीकृत हुआ था। दिनांक 22—08—2020 को थाना सिविल लाइन, रामपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त गौरव (पति) को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। आज दिनांक 07—09—2020 को थाना सिविल लाइन पुलिस द्वारा उक्त अभियोग में वॉछित चल रहे महेशपाल पुत्र मनोहर सिंह निवासी साईविहार कालौनी ज्वालानगर, थाना सिविल लाइन, रामपुर तथा उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर कार्यवाही की जा रही है।

थाना टाण्डा :— 300 ग्राम चरस के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार :— दिनांक 07—09—2020 को थाना टाण्डा, रामपुर पुलिस द्वारा मौहम्मद दानिश पुत्र इरफान निवासी शिकारपुर मझरा थाना टाण्डा, रामपुर को पहाडपुर तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 300 ग्राम चरस नाजायज बरामद हुई। इस सम्बंध में थाना टाण्डा, रामपुर पर मु0अ0सं0—236/20 धारा 8/20 एन.डी.पी.एस एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना कोतवाली :— अपहृता बरामद, अभियुक्त गिरफ्तार—दिनांक 07—09—2020 को थाना कोतवाली, रामपुर पुलिस द्वारा उमेश पुत्र गोपी सैनी निवासी नालापार थाना कोतवाली, रामपुर को स्वार रोड से गिरफ्तार करते हुए अपहृता को बरामद कर लिया गया। इस सम्बंध में थाना कोतवाली, रामपुर पर दिनांक 06—09—2020 को मु0अ0सं0—180/20 धारा 363,366 भादवि का अभियोग पंजीकृत हुआ था।

थाना कैमरी—50 लीटर नाजायज शराब खाम बरामद, एक अभियुक्त गिरफ्तार—दिनांक 06—09—2020 को थाना कैमरी, रामपुर पुलिस द्वारा रमेश पुत्र रामौवतार निवासी ग्राम बिडऊ थाना कैमरी जनपद रामपुर को मनकरा फाटक के पास से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 50 लीटर नाजायज शराबखाम बरामद हुई। इस सम्बंध में थाना कैमरी, रामपुर पर मु0अ0सं0—147/20 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।